

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 02 AUG 2017

क्रमांक एफ 1-111/2015/सात-4 -:- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के पत्र क्रमांक /3097/36/चयन/2016, दिनांक 07.02.2017 द्वारा सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पद हेतु जारी चयन सूची की मुख्य सूची में चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा इनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में नीचे उल्लेखित सूची के कॉलम क्र.-06 में दर्शित जिले में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पद पर वेतन बैंड रूपये 9300-34800 तथा दर्शित जिले में सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के पद पर वेतन बैंड रूपये 4200 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अनंतिम ग्रेड पे 4200 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अनंतिम (Provisional) रूप से अधिरोपित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

संक्र.	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	गृह जिला	वर्तमान पत्र व्यवहार का पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री देवेन्द्र कुमार देवांगन	अनारक्षित	कोरबा	मकान नं. 121/05 कोसाबड़ी निर्मला स्कूल के पीछे जिला-कोरबा, ४०५००	सुकमा
2.	श्री पोषक चौधरी	पिछड़ा वर्ग	रायगढ़	फ्लेट नंबर-2, प्रथम तल, मंजूला बिल्डिंग, छटटे अत्तरमुड़ा, रायगढ़, छत्तीसगढ़ (496001)	दुर्ग
3.	सुश्री डा. स्मिता कुमारी	अनारक्षित	सुरजपुर	C/O जयन्तीलाल चावड़ा, सी-83, देवेन्द्र नगर, सेक्टर-1, (आदर्श विद्यालय के नजदीक) रायपुर छत्तीसगढ़	रायपुर
4.	श्री विकान्त सिंह परिहार	अनारक्षित	कोरिया	S/o भगतसिंह परिहार म०न० 10/169 स्कूलपारा ग्राम माड़ीसरई तहसील भरतपुर थाना, जनकपुर, जिला कोरिया, ४०५००	बस्तर
5.	सुश्री अनामिका कश्यप	अन्य पिछड़ा वर्ग	जांजगीर-चांपा	मकान नं. 1008, डॉ. लुथरा हास्पिटल के सामने, चड़ा बाड़ी, नेहरू नगर वार्ड नं. 03, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	रायगढ़



6.	श्री मधुकर सिरमौर	अन्य पिछड़ा वर्ग	रायपुर	ग्राम— किरना, पो.आ.— टण्डवा तहसील— तिल्दा, जिला—रायपुर, (छ0ग0)	बस्तर
7.	श्री आशुतोष गुप्ता	अनारक्षित	कबीरधाम	डॉ. सूर्यकांत भारती हॉस्पीटल गली, वार्ड नं. 24 बॉय पास रोड, कवर्धा, जिला—कबीरधाम, छ0ग0	बेमेतरा
8.	श्री गजेन्द्र साहू	अन्य पिछड़ा वर्ग	बेमेतरा	शा० बालक उ०मा० विद्यालय रोड वार्ड क०—०५ बेमेतरा(छ0ग0)	दुर्ग
9.	श्री खेलेन्द्र सिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	बेमेतरा	ग्राम व पोस्ट— परसबोड, तह०— साजा जिला— बेमेतरा (छ0ग0)	बिलासपुर
10.	श्री अमित कुमार झा	अनारक्षित	दुर्ग	आकाश नगर, वार्ड नं. 16, सिकोला सोनी आटा चक्की के पास, तहसील व जिला दुर्ग,(छ0ग0)—491001	सरगुजा
11.	सुश्री कोमल टंडन	अनारक्षित	रायपुर	फ्लेट नं.104, विंग—1, केपिटल, पैलेस, कविता नगर, रायपुर, छत्तीसगढ—492001	धमतरी
12.	सुश्री दीपिका दुबे	अनारक्षित	बलरामपुर	वार्ड क०— 02, पेट्रोल पंप पारा रामानुजगंज, जिला— बलरामपुर—रामानुजगंज, छ0ग0	उपायुक्त—भू—अभिलेख बिलासपुर
13.	सुश्री रेखा जायसवाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	सरगुजा	रेखा जायसवाल श्री D/O श्यामलाल जायसवाल ग्राम व पोस्ट— उदयपुर, जिला—सरगुजा, (छ0ग0)	जशपुर
14.	श्री प्रभात सोनी	अन्य पिछड़ा वर्ग	कोरिया	402B, नीलमयूर परिसर अपार्टमेंट, पासपोर्ट ऑफिस के पास, दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर,(छ0ग0)	बीजापुर
15.	श्री पंकज सिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	रायपुर	डी—401, मेन्स मीडोज, भारतीय नगर, बिलासपुर, 495001	बस्तर
16.	श्री अविनाश चौहान	अनुसूचित जाति	रायगढ़	रेल्वे बंगला पारा, साँई मंदिर के पास वार्ड क.— 39, मकान क.— 06, रायगढ़, (छ0ग0) 496001	बस्तर
17.	सुश्री भूपेन्द्र कुमारी बंजारे	अनुसूचित जाति	जांजगीर—चांपा	D/o श्री भूपेन्द्र कुमारी बंजारे भागीरथी बंजारे वार्ड नं.—63 मोंगरा बस्ती, बांकी—मोंगरा तहसील—कटघोरा, जिला—कोरबा (छ0ग0)	कोरबा

18.	श्री लाल नारायण सिंह	अनुसूचित जाति	बलौदा— बाजार	संजय कालोनी बलौदाबाजार तह0 व जिला बलौदाबाजार, (छ0ग0) 493332	सुकमा
19.	सुश्री आशा रानी खूंटे	अनुसूचित जाति	जांजगीर— चांपा	ग्राम—मेढ़ापाली, पो.—बारापीपर तह0— उभरा, जिला—जांजगीर चॉपा(छ0ग0)	रायपुर
20.	श्री विजय कुमार पटेल	अन्य पिछड़ा वर्ग	रायगढ़	ग्राम व पोस्ट— नन्देली, जिला व क्हाया — रायगढ़(छ0ग0) 496001	बस्तर
21.	श्री प्रमोद कुमार	अनु0 जनजाति	बालोद	मकान नं.— 320, वार्ड नं.—19 स्कूल पारा— 01 लिभोरा, जिला— बालोद (छ0ग0)	सरगुजा
22.	श्री बैजू लाल कंवर	अनु0 जनजाति	कोरबा	ग्राम— गिधौरी, पोस्ट— दादरकला, क्हाया—भैसमा, तहसील— करतला, जिला— कोरबा (छ0ग0) 495674	बिलासपुर
23.	डॉ. मोहन लाल भारद्वाज	अनु0 जनजाति	बस्तर	C/O बनवाली राम भुआर्य, 160/B, INA टाईप गली न.18, टाउनशीप, दल्लीराजहरा जिला— बालोद (छ0ग0) 491228	सरगुजा
24.	श्री हेमु मण्डावी	अनु0 जनजाति	कांकेर	ग्राम— देवीनवागांव, भण्डारीपारा, पोस्ट— देवीनवागांव तहसील— नरहरपुर, जिला— कांकेर (छ.ग.) 494333	बस्तर
25.	श्री मनीष कुमार कंवर	अनु0 जनजाति	बस्तर	श्रीमती सेवती कंवर, ग्राम दमकसा (हाईस्कूल) पो. दमकसा, तह— दुर्गकोंदल, जिला— उ.ब. कांकेर(छ0ग0) 494635	सूरजपुर
26.	श्री राहुल कुमार सिंह	अनु0 जनजाति	सरगुजा	ग्राम पंचायत—रिखी, पो0— सलका (तुठीपकरी) वि.ख.— उदयपुर, जिला—सरगुजा(छ0ग0) 497117	बीजापुर
27.	सुश्री कुमारी प्रीति उइके	अनु0 जनजाति	कांकेर	ग्राम—कोदाभाट(कांकेर), पोस्ट— कांकेर तह0—कांकेर, जिला— बस्तर कांकेर (छ0ग0) 494334	बस्तर
28.	सुश्री चांदनी धुव	अनु0 जनजाति	बलौदाबाजारमयूर	कलब के पास, संत माता कर्मा वार्ड भाटापारा, जिला— बलौदाबाजार— भाटापारा(छ0ग0) 493118	रायपुर
29.	सुश्री उषा नेताम	अनु0 जनजाति	कोरबा	निशा नेताम, एफ—1, पंजरी प्लांट कालोनी मिनी स्टेडियम के पास, जिला—रायगढ़ (छ0ग0)	सरगुजा

शर्तें :-

- 1— यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम (Provisional) है एवं जाति, निवास, शैक्षणिक अर्हता, चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य आदि प्रमाण-पत्रों के उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने तथा सही पाये जाने के अध्यधीन है।
- 2— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा वह किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा (निर्धारित प्रारूप संलग्न है)।
- 3— नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।
- 4— पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं सत्यापित छायाप्रतियां उपलब्ध करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिए जायेंगे।
- 5— आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर 02 माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कारण बताये, पूर्वाग्रह के बिना नियोक्ता द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाएगी, तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अन्तिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जाएगा। ही संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज़/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा।
- 6— शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



- 7— कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण-पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण-पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा, जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित जिलों के कलेक्टर्स के पास रहेगी।
- 8— नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्रे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा भर्ती नियम 1980 के अध्याधीन रहेंगे।
- 9— नियुक्त अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 01 नवंबर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
- 10— यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम (**Provisional**) है तथा परिवीक्षा अवधि में बिना कोई कारण बताये, एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्याग पत्र दिया जा सकेगा।
- 11— नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
- 12— नियुक्त अभ्यर्थियों को जब प्रशिक्षण हेतु जहां भी बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति संबंधित स्थान पर देंगे।
- 13— परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यतः सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अभ्यर्थी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे।
- 14— परिवीक्षाधीन अभ्यर्थियों को अपनी परिवीक्षा अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी। नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक, अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकेगा। जो व्यक्ति उपर्युक्त अनुसार विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न हुआ हो अथवा जो सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया हो, यदि नियुक्ति

प्राधिकारी के विचार में उसका उपयुक्त शासकीय कर्मचारी बनना संभव न हो, की सेवाएं परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त की जा सकेगी।

15— इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किए जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एन.आर.साहू)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 1-111/2015/सात-4

नया रायपुर दिनांक

02 AUG 2017

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर.
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर.
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर.
5. महालेखाकार, जीरो प्वाइंट, विधानसभा रोड, रायपुर छत्तीसगढ़.
6. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय नया रायपुर.
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक/3097/36 /चयन/2016, दिनांक 07.02.2017 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
8. आयुक्त, भू—अभिलेख, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़
9. समर्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़.
10. संचालक, प्रशासन अकादमी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निवेदन है कि भविष्य में आयोजित होने वाले आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

11. संचालक, जनसंपर्क छत्तीसगढ़ रायपुर.
12. कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला (छ.ग.) की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व अवलोकन हेतु प्रस्तुत मूल जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की सूक्ष्मता से जांच की जाए और पूर्ण संतुष्टि के उपरांत कार्यभार ग्रहण करायें। यदि किसी अभ्यर्थी के संबंध में जांच के दौरान कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न कराकर संबंधित प्रकरण विभाग को प्रेषित करें तथा संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र मूलतः इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी (छ.ग.).
14. संबंधित अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... को निर्देशित किया जाता है कि आप इस आदेश के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक अर्हता, जाति, निवास आदि संबंधी मूल-दस्तावेज संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रस्तुत करें ताकि कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मूल प्रमाण-पत्रों की जांच कलेक्टर द्वारा की जा सके। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर आपकी जिले में उपस्थिति इस विभाग के पूर्व अनुमति के स्वीकार नहीं की जावेगी, साथ ही यदि यह नियुक्ति आपको स्वीकार/अस्वीकार हो, तो कृपया इस आदेश के पावती के साथ सहमति/असहमति भी तत्काल इस विभाग को भेजें।
15. व्यक्तिगत नस्ती/गार्ड फाइल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 (टीप :—आदेश, राजस्व विभाग की वेबसाइट <http://cg.nic.in/revenue/> में उपलब्ध है)


 (एन. आर. साहू)
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

शपथ—पत्र

समक्ष,

.....
.....
.....

मैं (नाम) पिता/पति
आयु वर्ष निवासी शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि

1. मुझे छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-111/2015/सात-4, दिनांक को उल्लेखित शर्त क्रमांक-1 से 15 तक मान्य हैं तथा मैंने इन शर्तों को भली-भांति पढ़ लिया है।
2. यह भी कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निवास प्रमाण—पत्र/जाति प्रमाण—पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति है।
3. यह भी कि मेरे द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रस्तुत प्रमाण—पत्र मूल प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रति है।
4. मेरे द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र वैध रूप से जारी प्रमाण—पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि है।
5. मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी मिथ्या अथवा असत्य नहीं है।
6. मेरे द्वारा अनुप्रमाणन फार्म के कॉलम-12 में किसी तथ्य को जानबूझकर जानते हुए नहीं छिपाया गया है तथा अनुप्रमाणन फार्म में भरी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है।

शपथकर्ता

सत्यापन

मैं पिता/पति आयु
निवासी सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त कंडिका 1 से 6 तक कथन सही है तथा मिथ्या व असत्य नहीं है।

शपथकर्ता